<u>कार्यालय जनपद न्यायाधीश, नजारत, जजी, इटावा।</u>

<u>दिनांक 11.04.2017</u>

<u>विज्ञप्ति</u>

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, इटावा के दस न्यायालय कक्ष भवन के मुख्य द्वार पर जजशिप की राजकीय एम्बेसडर कार संख्या यू0पी075सी–8000 एवं यू0पी075ए–8250 की नीलामी दिनांक **26.04.2017** को सांय **3.00** बजे की जायेगी। जिन व्यक्तियों को उक्त नीलामी में भाग लेना हो वे उक्त दिनांक एवं समय व स्थान पर बोली बोलने हेतु उपस्थित हों। समस्त बोलीदाताओं को बोली बोलने से पूर्व रूपये 5–5 हजार प्रतिभूति धनराशि के रूप में अग्रिम जमा करना होगा। बोली समाप्ति पर स्वीकृत बोलीदाता की प्रतिभूति धनराशि छोड़कर शेष बोलीदाताओं की प्रतिभूति धनराशि वापस की जायेगी। नीलामी में अधिकतम बोलीदाता को नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि उसी समय जमा करनी होगी जिसमें उसकी प्रतिभूति धनराशि समायोजित की जायेगी। नीलामी बोली स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का सर्वाधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, इटावा महोदय को सुरक्षित रहेगा। नीलामी से सम्बन्धित उक्त कारो एवं अन्य शर्तो की जानकारी केन्द्रीय नाजिर, नजारत, जजी, इटावा से प्राप्त की जा सकती है।

(बादाम सिंह)
अध्यक्ष समिति/
विशेष न्यायाधीश (S.C./S.T.Act)
इटावा।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u>।

1– जिला सूचना अधिकारी, इटावा को इस आशय से कि समस्त स्थानीय समाचार पत्रों मे नीलामी की विज्ञप्ति निः शुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
2– उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, इटावा।
3– दस न्यायालय कक्ष भवन, जजी, इटावा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
4– नाजिर, कलेक्ट्रेट, इटावा की सूचनापट, पर चस्पा किये जाने हेतु।
5– नाजिर, विकास भवन, इटावा, को सूचनापट, पर चस्पा किये जाने हेतु।
6– व्यापार कर अधिकारी, इटावा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
7– अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/जिला पंचायत, इटावा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु। ।
8– जनपद के कार गैराजों/कबाड़ियों को सूचनार्थ प्रेषित।
9– दैनिक दिनरात, दैनिक देशधर्म एवं दैनिक सवेरा समाचार पत्रों को जनहित मे निः शुल्क प्रकाशनार्थ।

(बादाम सिंह)
अध्यक्ष समिति/
विशेष न्यायाधीश (S.C./S.T.Act)
इटावा।

सरकारी एम्बेसडर संख्या यू0पी0 75सी/8000 एवं यू0पी0 75ए/8250 की नीलामी की शर्तें व नियम

1— नीलामी बोली बोलने के पूर्व प्रत्येक बोली बोलने वाले को रूपये 5,000.00 प्रतिभूति धनराशि के रूप में जमा करनी होगी।

2— नीलामी बोली, अधिकारिक रूप से **सरकारी एम्बेसडर संख्या यू0पी0 75सी/8000 एवं यू0पी0 75ए/8250 की** क्रमशः 35,000.00 (पैंतीस हजार रूपये मात्र) एवं 20,000.00 (बीस हजार रूपये मात्र) से कम बोलने पर बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश, में सुरक्षित है।

3— **सरकारी एम्बेसडर संख्या यू0पी0 75सी/8000 एवं यू0पी0 75ए/8250 की** नीलामी बोली स्वीकार होने पर, नीलामी की धनराशि तत्काल जमा करनी होगी।

4— नीलामी बोली स्वीकृत होने पर, जमाकर्ता की सुरक्षा धनराशि मूल धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी, शेष अन्य बोली बोलने वालों की धनराशि उन्हें वापस कर दी जायेगी। स्वीकृत बोली बोलने वाला व्यक्ति यदि नियम का अनुपालन करने में किसी प्रकार हीला—हवाली करता है या अनुपालन नही करता है, तो उसके द्वारा जमा प्रतिभूति धनराशि जप्त की जा सकती है।

5— नीलामी बोली स्वीकारोक्ति एवं नीलामी की सकल धनराशि जमा होने के पश्चात्, उक्त **सरकारी एम्बेसडर संख्या यू0पी0 75सी/8000 एवं यू0पी0 75ए/8250 को** ले जाने हेतु नीलामी लेने वाला व्यक्ति अधिकृत होगा।

6— **सरकारी एम्बेसडर संख्या यू0पी0 75सी/8000 एवं यू0पी0 75ए/8250 के** कागजात का हस्तान्तरण एवं परिवर्तन नियमानुसार होगा।

7— नीलामी बोली के स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का सर्वाधिकार जनपद न्यायाधीश महोदय में सुरक्षित रहेगा।

(बादाम सिंह)
अध्यक्ष समिति/
विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0अधि0),
इटावा